29/1/19

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष द्वारा पूर्व में बहस समाप्त की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रश्नगत आराजी में ज

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता[रीख] अहकाम जो इस की तामील में जारी
	प्रार्थी ने प्रतापसिंह पुत्र हजारासिंह का हिस्सा 1.545 है. जरिए बैयनामा खरीद लिया था। प्रार्थी द्वारा इस आराजी की खरीद से पूर्व प्रतापसिंह व मलकीतसिंह अप्रार्थी सं. 1 के पति व 2 व 3 के पिता व अप्रार्थी सं. 4 के मध्य तादाद आराजी का पारस्परिक सहमति से घरेलू विभाजन हो चुका था। बटवारानुसार ख.न. 212/294 के कि.न. 14, 17, 24 की पूर्वी सीमा उत्तर से दक्षिण में 0.018 है. रास्ते का प्रावधान किया गया। जो उस समय से आजतक चालू है। आगे प्रार्थी ने कथन किए कि प्रतापसिंह द्वारा दिनांक 22/12/14 को निष्पादित शपथ पत्र में भी उक्त रास्ते का वर्णन है। अप्रार्थीगण यदि इस संयुक्त खाते की आराजी को बिना खाता विभाजन अन्य लोगों को बेचान कर देवे तो क्रेतागण चालू रास्ते को बंद कर देवें। ~~अतः~~ जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। खाता भूमि संयुक्त है जिसके प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का समान अधिकार है इसलिए अप्रार्थी के विरुद्ध पाबंद निषेधाज्ञा खाता विभाजन होने तक जारी करें। अधिवक्ता अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किए कि अधिवक्ता प्रार्थी ने जिस बटवारानामा का उल्लेख किया है ऐसा कोई घरेलू विभाजन नहीं हुआ था। पारस्परिक सहमति के आधार पर कोई खाता विभाजन नहीं हुआ था। अप्रार्थी द्वारा इस आराजी 1.512 है. का विक्रय कर कब्जा खरीददारान को सम्भला दिया है ऐसी स्थिति में सहखातेदारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं कर सकते। मौके पर रास्ता नहीं चल रहा है अतः अस्थायी निषेधाज्ञा	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	खारिज किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्त - प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध बयानामा दिनांक 22.4.2006 के अवलोकन से प्रकट होता है कि भूमि के बेचान के साथ-साथ प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा मलकीतसिंह किला नं. 5; प्रतापसिंह किला नं. 4 एवं केवलसिंह कि नं. 2 में से प्रतापसिंह को अपने खेत में जाने हेतु 10 फुट के रास्ते का प्रावधान किया गया था। शपथपत्र दिनांक 22.12.14 द्वारा प्रतापसिंह ने यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा चक नं. 2 55 R में 1.597 है. का बैनामा प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित किया है एवं मुताबिक बयानामा 22.4.2006 प्रार्थी को उसकी जमीन में जाने से उसके परिवार का कोई सदस्य रोक नहीं सकता। उपर्युक्त दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रकट होता है कि प्रतापसिंह को बयानामा दिनांक 22.4.2006 द्वारा उसकी खेत में जाने हेतु रास्ता दिया गया था जो उसने प्रार्थी को प्रस्तगत आपसी बेचान पत्र एवं जरिए शपथपत्र दिनांक 22.12.14 स्वीकार किया है। प्रार्थी ~~[illegible]~~ को यदि उसकी कृषि भूमि में जाने हेतु कोई अवरोध कारित होता है तो उसके खातेदारी अधिकारों का हनन होगा। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी	

Scanned by CamScanner

...त्र हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर... अहका... की ता...
	के पक्ष में निर्णित किए जाते हैं। एवं अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.8.18 इस आशय की कन्फर्म की जाती है कि खाता विभाजन होने तक उपलब्ध मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।	

Scanned by CamScanner